अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 15.04.2017

फा.सं.7-1/2017-हिं.अ.

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.03.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.03.2017 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. बलराम एरन, तत्कालीन निदेशक एवं संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि।

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

वितरण:-

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
- सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- सभी नोडल राजभाषा अधिकारीगण।
- प्रभारी संकाय(कंप्यूटर सुविधा)- कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.03.2017 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 20.03.2017 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17वीं बैठक प्रो. बलराम एरन, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. बलराम एरन, निदेशक, एम्स	अध्यक्ष
2.	प्रो. बलराम एरन, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4.	श्री राज कुमार, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
5.	डॉ. जी.के. रथ आचार्य एवं प्रमुख, डॉ. बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
6.	प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की प्रतिनिधि: सुश्री किरण पाठक, प्रवर श्रेणी लिपिक	सदस्य
7.	डॉ. राकेश कुमार चड्ढ़ा, आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद	सदस्य
8.	डॉ. बलराम एरन, आचार्य एवं प्रमुख, हृद् वक्ष विज्ञान केंद्र	सदस्य
9.	डॉ. ए.के. महापात्रा, आचार्य एवं प्रमुख, तंत्रिका विज्ञान केंद्र	सदस्य
10.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
11.	डॉ. आर. एम. पाण्डेय, आचार्य एवं अध्यक्ष, जैव सांख्यिकी विभाग	सदस्य
12.	डॉ. के.के. दीपक, आचार्य एवं प्रभारी अधिकारी, सीमेट	सदस्य
13.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि: श्री विनोद शर्मा, कार्यकारी अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग	सदस्य

14.	श्री प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, (नि.का.) भण्डार अनुभाग (नि.का.)	सदस्य
15.	प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.बी.आर.ए. सं.रो.कें.अ. के प्रतिनिधि: श्री भूप सिंह, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
16.	प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अस्पताल के प्रतिनिधि: श्री मनबर सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	सदस्य
17.	श्रीमती प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
18.	प्रभारी संकाय, अस्पताल कंप्यूटरीकरण सेवा, एम्स के प्रतिनिधि: सुश्री मेटिल्डा रोबिन, नर्सिंग अधिकारी एवं सुश्री तृप्ता, प्रोग्रामर	विशेष आमंत्रित
19.	श्री मनोज कुमार झा, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (भर्ती)	विशेष आमंत्रित
20.	श्री जी.आर. पिल्लई, सहायक प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
21.	श्री ललित उरांव, प्रशासन अधिकारी, ई.एस.एस. अनुभाग	विशेष आमंत्रित
22.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव

अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 <u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 05 पद कॉन्ट्रेक्ट आधार पर भर लिए गए हैं जिनमें से एक अनुवादक ने संस्थान की सेवा से त्यागपत्र देकर अन्य सरकारी कार्यालय में नियमित सेवा ग्रहण कर ली है। अत: अब केवल 04 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ही कॉन्ट्रेक्ट आधार पर कार्यरत हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. भर्ती अनुभाग द्वारा उक्त कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों को नियमित रूप से भरा जाए ताकि संस्थान तथा सभी केन्द्रों आदि में हिंदी अनुवादकों की सेवा तुरंत उपलब्ध हो सके।

2. संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में नियमानुसार अपेक्षित अतिरिक्त पदों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ताकि संस्थान व केंद्रों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (भर्ती)/वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

मद सं. 3 संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदलकर भरे जाने संबंधी।

उपर्युक्त के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में वर्ष 1997 से प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पायी है और समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदल कर इसे भर लिया जाए। समिति द्वारा पूछे जाने पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) महोदय ने समिति को सूचित किया कि प्रकाशन सहायक (हिंदी) के पद को भरने हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित हो चुके हैं तथा परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुका है लेकिन तकनीकी कारणों से आगे की कार्रवाई लंबित है।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदलकर शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए और यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठ हिंदी अधिकारी का सहयोग लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 4 संस्थान के सभी केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान के सभी केंद्रों आदि में राजभाषा हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित केन्द्र-प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए जिसके अनुपालन में संस्थान के सभी कैद्रों में संबंधित केन्द्र-प्रमुख के अनुमोदन से राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है तथा ट्रॉमा केंद्र, संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल तथा राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद को छोड़ कर शेष सभी केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी केंद्रों को अपने-अपने यहां गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए जाएं ताकि संस्थान के सभी केंद्रों आदि में राजभाषा हिंदी के

कामकाज को बढ़ावा दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- सभी केंद्र

मद सं. 5 संस्थान अस्पताल में टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में सूचना द्विभाषी होने संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में रोगी सूचना केवल अंग्रेजी में ही छापी जा रही है जबकि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि नियमानुसार यह द्विभाषी होनी चाहिए लेकिन इस विषय में अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान अस्पताल में टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में रोगी सूचना द्विभाषी रूप में दर्शायी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- प्रभारी संकाय, अस्पताल कंप्यूटरीकरण सुविधा

मद सं. 6 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 51 प्रतिशत ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक तिमाही में संस्थान के 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा समेकित करने के पश्चात निदेशक महोदय के अनुमोदन से राजभाषा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। संस्थान के उक्त 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों की समीक्षा बारी-बारी से उक्त अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। जिसके अनुपालन में इस बैठक में समिति द्वारा संस्थान के निम्नलिखित अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर-दिसम्बर, 2016) की समीक्षा की गई:

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्रविज्ञान केंद्र
2. जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र
3. बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
4. सामान्य अनुभाग
5. संकाय प्रकोष्ठ
6. ई.एच.एस. अनुभाग
7. वर्क्स ऑडिट अनुभाग
8. एम.एस.यू.

समिति द्वारा उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 7 <u>संस्थान में लेखन सामग्री आदि में संस्थान संबंधी सूचना द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लेखन सामग्री अनुभाग द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही सभी प्रकार की लेखन सामग्री (राइटिंग पैड आदि) पर संस्थान के नाम-पते संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छपी होनी चाहिए।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा संस्थान के सभी केंद्रों आदि में प्रयोग में लाये जाने वाले राइटिंग पैड के पृष्ठों की संख्या 16-20 तक होनी चाहिए तथा राइटिंग पैड आदि लेखन सामग्री में संस्थान के नाम एवं पते संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में छापी जाए और राइटिंग पैड के पृष्ठों पर अंगदान आदि संबंधी स्लोगन छपवाए जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (सामान्य)/वरिष्ठ भंडार अधिकारी(नि.का.)/सभी केन्द्र

मद सं. 8 <u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। फरवरी 2017 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि छः माह के स्थान पर अब दो माह प्रतिदिन तीन घंटे और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष के स्थान पर 04 माह, प्रतिदिन 03 घंटे की कर दी गई है। ऐसे में संस्थान के कामकाज की प्रवृत्ति को देखते हुए कर्मचारीगण को आधे-आधे दिन के लिए भेजा जाना मुश्किल है। संस्थान में हिंदी टंकक/आशुलिपिक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर 80% भर्ती ऐसे कर्मचारियों की होनी चाहिए जिन्हें हिंदी में टाइपिंग का ज्ञान हो। चूंकि हमारे संस्थान में तकनीकी प्रकृति के काम-काज की अधिकता है जिसके लिए दोनों भाषाओं हिंदी/अंग्रेजी टंकण में प्रवीण कर्मचारी भर्ती करके भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि:-

1. संस्थान में सीमेट में ही हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

2. भर्ती अनुभाग द्वारा टंकक/आशुलिपिक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के 80% पदों पर अंग्रेजी/हिंदी टंकण में निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने डॉ. के.के. दीपक, प्रभारी संकाय, सीमेट को हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था सीमेट में ही कराने के आदेश दिए।

कार्रवाई - डॉ. के.के. दीपक, प्रभारी अधिकारी, सीमेट/वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।